कार्यालय जिलाधिकारी बुलन्दशहर।

पत्रांकः 1963 /न्याय सहायक/कोरोना वायरस/2020 दिनॉकः 27 मई, 2020

विषयः— जनपद न्यायालय में कोविड–19 पॉजिटिव एडवोकेट श्री फकीर चंद शर्मा के सम्पर्क में आये अन्य व्यक्तियों के सत्यापन के संबंध में।

मा0 जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
बुलन्दशहर।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बुलन्दशहर की आख्या पत्रांक–सी0एम0ओ0/कोविड–19/2020/एम दिनांक 27.05.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा चिकित्सा अधिकारी, बुलन्दशहर एवं जिला सर्विलांस अधिकारी/अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बुलन्दशहर की आख्या अग्रसारित की गयी है, जिसके अन्तर्गत अवगत कराया गया है कि आज दिनांक 27.05.2020 को संयुक्त रूप से जनपद न्यायालय परिसर में भ्रमण किया गया एवं एडवोकेट श्री फकीर चन्द शर्मा जी (9837226196) के चैम्बर में जाकर वहां पर उपस्थित श्री शीशपाल सिंह एडवोकेट, श्री नीरज राघव एडवोकेट (9719405732), श्री सतीश कुमार रूड़कीवाल एडवाकेट (9358435304), श्री रहीशुद्दीन एडवोकेट (9456284700) व अन्य से वार्ता की गयी। वार्ता के क्रम में एडवोकेट श्री फकीर चन्द शर्मा पिछले 6 माह से बीमार होने के कारण (फेफड़ों का कैंसर) व कूल्हे की हड्डी टूट जाने के कारण कोर्ट परिसर में या अपने चैम्बर पर कभी भी नहीं आये है। इनके करीबी श्री सतीश कुमार रूड़कीवाल दिनांक 20.05.2020 को हालचाल पूछने के लिये श्री फकीर चन्द शर्मा जी के घर पर लगभग आधा घण्टे रहे थे। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि वह लगभग 2 मीटर की दूरी से मास्क लगाकर बैठे हुए थे। उन्होंने ईलाज के कागजात व फेफड़ों का एक्सरा देखे थे। श्री सतीश कुमार प्रतिदिन कोर्ट में अपने चैम्बर में बैठ रहे हैं। उनके पास क्लाईंट/बाहरी व्यक्तियों का आना जाना बहुत ही कम है। एडवोकेट श्री रहीशउद्दीन से दूरभाष पर वार्ता की गयी उन्होनें अवगत कराया है कि वह गुलावठी में रहता हूँ, मैं श्री फकीर चंद शर्मा जी के बीमार होने से पहले इनके साथ कार्य करता था। लगभग 2 महीने से मैं न तो बुलन्दशहर आया हूँ और न ही श्री फकीर चन्द शर्मा जी से मैं कभी मिला हूँ। अन्य अधिवक्ताओं के द्वारा भी इसकी पुष्टि की गयी है।

अतः श्री सतीश कुमार रूड़कीवाल का सम्पर्क श्री फकीरचन्द शर्मा जी के साथ होने के कारण जनपद न्यायालय परिसर का सैनीटाईजेशन व 24 घण्टे बन्द रखना उचित होगा एवं श्री सतीश कुमार रूड़कीवाल के परिवार का कोविड–19 सैम्पलिंग कराना आवश्यक है।

अतः मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बुलन्दशहर की आख्या पत्रांक–सी0एम0ओ0/कोविड–19/2020/एम दिनांक 27.05.2020 मूलरूप में संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नकः यथोक्त

27/05/2020
अपर जिलाधिकारी–प्रशासन,
बुलन्दशहर।

प्रतिलिपिः– जिलाधिकारी महोदय की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

27/05/2020
अपर जिलाधिकारी–प्रशासन,
बुलन्दशहर।

सेवा में,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
बुलन्दशहर।

विषयः **जनपद न्यायालय में कोविड– 19 पॉजिटिव एडवोकेट श्री फकीर चंद शर्मा के सम्पर्क में आये अन्य व्यक्तियों के सत्यापन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपको सादर अवगत कराना है आज दिनांक 27.05.2020 को संयुक्त रूप से मेरे एवं डा0 सचिन भाटी चिकित्सा अधिकारी के द्वारा जनपद न्यायालय परिसर में भ्रमण किया गया एवं एडवोकेट श्री फकीर चंद शर्मा जी (9837226196) के चैम्बर पर जाकर वहां पर उपस्थित श्री शीशपाल सिंह एडवोकेट, श्री नीरज राघव एडवोकेट (9719405732), श्री सतीश कुमार रूड़कीबाल एडवोकेट (9358435304), श्री रहीशउद्दीन एडवोकेट (9456284700) व अन्य से वार्ता की गयी। वार्ता के क्रम में एडवोकेट श्री फकीर चंद शर्मा पिछले छः माह से बीमार होने के कारण (फेफड़ों का केंसर) व कुल्हे की हड्डी टूट जाने के कारण कोर्ट परिसर में या अपने चैम्बर पर कभी भी नहीं आये हैं। इनके करीबी श्री सतीश कुमार रूड़कीबाल दिनांक 20.05.2020 को हाल चाल पूछने के लिये श्री फकीर चंद शर्मा जी के घर पर लगभग आधा घण्टा रहें थें। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि वह लगभग 2 मीटर की दूरी से मास्क लगाकर बैठे हुये थें। उन्होंने ईलाज के कागजात व फेफड़ों का एक्सरा देखे थें। श्री सतीश कुमार प्रतिदिन कोर्ट में अपने चैम्बर में बैठ रहें हैं। उनके पास क्लाईंट/बाहरी व्यक्तियों का आना जाना बहुत ही कम हैं। एडवोकेट श्री रहीशउद्दीन से दूरभाष पर वार्ता की गयी उन्होंने अवगत कराया है कि मैं गुलावठी में रहता हूँ मैं श्री फकीर चंद शर्मा जी के बीमार होने से पहले इनके साथ कार्य करता था। लगभग 2 महीने से मैं न तो बुलन्दशहर आया हूँ और न हीं श्री फकीरचन्द शर्मा जी मैं कभी मिला हूँ। अन्य अधिवक्ताओं के द्वारा भी इसकी पुष्टि की गयी है।

अतः श्री सतीश कुमार रूड़कीबाल का सम्पर्क श्री फकीरचंद शर्मा जी के साथ होने के कारण जनपद न्यायालय परिसर का सैनीटाईजेशन व 24 घण्टें बन्द रखना उचित होगा एवं श्री सतीश कुमार रूड़कीबाल के परिवार का कोविड–19 सैंम्पलिंग करना आवश्यक है।

जनपद न्यायालय में किये गये भ्रमण की आख्या आपकी सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

Sachin
डा0 सचिन भाटी
चिकित्सा अधिकारी
बुलन्दशहर

जिला सर्विलांस अधिकारी/
अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी
बुलन्दशहर

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बुलन्दशहर

पत्रांक :– सी0एम0ओ0/कोविड–19/2020/एम/2713 दिनांक 27.05.2020

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मा0 जनपद न्यायाधीश जनपद न्यायालय परिसर, बुलन्दशहर।
2. जिलाधिकारी महोदय, बुलन्दशहर।
3. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बुलन्दशहर।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
बुलन्दशहर

CMO /COVID-19/2020-21/53

कार्यालय	जिलाधिकारी	बुलन्दशहर।

पत्रांकः 1952/न्याय सहायक/कोरोना वायरस/2020 दिनॉकः27 मई, 2020

मा0 जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
बुलन्दशहर।

महोदय,

कृपया अपने पत्र दिनांक 21.05.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत न्यायालय परिसर, बुलन्दशहर में न्यायिक कार्य प्रारम्भ होना अवगत कराते हुए, माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार नित्य प्रतिदिन 3.00 बजे कोविड–19 के थ्रेट लेविल की आख्या उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या–40–3/2020–डीएम–1(ए) दिनांक 17.05.2020 के कम में, मा0 मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, गृह (गोपन) अनुभाग–3, लखनऊ के पत्र संख्या–924/2020/सीएक्स–3 दिनांक 18.05.2020 के प्रस्तर–4 के अन्तर्गत कन्टेनमेन्ट, बफर, रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन का निर्धारण निम्नवत किया गया है:–

4– कन्टेनमेन्ट, बफर, रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोनः–

(i) जोन का निर्धारण केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) के द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया जाएगा।

(ii) निर्धारित जोन के अंदर कन्टेनमेन्ट जोन एवं बफर जोन का निर्धारण जिला प्रशासन द्वारा केन्द्रीय परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) तथा राज्य सरकार द्वारा निर्गत गाइडलाईन के क्रम में किया जायेगा।

(iii) कन्टेनमेन्ट जोन निम्नवत परिभाषित की जाती है:–

शहरी क्षेत्र

(1) जहॉ शहरी क्षेत्र में सिंगल केस है, वहॉ पर 250 मीटर के रेडियस में अथवा पूरा मौहल्ला, जो भी कम हो ।

(2) एक से ज्यादा केस होने पर, कलस्टर की स्थिति में, 500 मीटर के रेडियस में कन्टेनमेन्ट जोन होगा तथा उसके उपरांत 250 मीटर में बफर जोन भी होगा।

ग्रामीण क्षेत्र

(1) जहॉ सिंगल केस है, वहां पर राजस्व ग्राम का सम्बन्धित मजरा।

(2) यदि गॉव में एक से अधिक केस (कलस्टर) है तो ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण राजस्व ग्राम कन्टेनमेन्ट जोन होगा। इस गॉव के इर्द–गिर्द पड़ने वाले दूसरे राजस्व ग्रामों के मजरे बफर जोन में आयेंगें।

(iv) कन्टेनमेन्ट जोन में केवल स्वास्थ्य विभाग, स्वच्छता के कार्य एवं डोर स्टेप डिलेवरी के कार्य की ही अनुमति होगी। कन्टेनमेन्ट जोन में कड़ा परिधिय नियंत्रण रखते हुए यह भी सुनिश्चित किया जाए कि केवल चिकित्सकीय आपातकालीन स्थिति और आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की पूर्ति को छोड़कर किसी भी व्यक्ति का अन्दर अथवा बाहर की ओर आवागमन न हो, इस सम्बन्ध में केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा राज्य सरकार के दिशा निर्देशों का ध्यान रखा जाएगा।

(v) कन्टेनमेन्ट जोन में सघन कान्टेक्ट ट्रेसिंग, हाउस टू हाउस सर्विलांस और यथावश्यक चिकित्सकीय गतिविधियां होगी।

(vi) कन्टेनमेन्ट जोन का आकार यथासंभव इस प्रकार रखा जाए कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन हो।

प्रभारी निरीक्षक, स्थानीय अभिसूचना इकाई, बुलन्दशहर द्वारा अपनी आख्या पत्रांक–एल.आई.यू./सी–34/2020 दिनांक 27.05.2020 में अवगत कराया गया है कि ''विगत काफी समय से प्रदेश एवं देश में कोरोना संक्रमण के फैलने के कारण लॉकडाउन चल रहा है। इस अवधि में देश के अन्य प्रान्तों महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा आदि से प्रवासी मजदूर आदि वापस आ रहे हैं, जिनमें से कुछ लोग विगत दिनों संक्रमित भी पाये गये है। यह भी प्रकाश में आया है कि कुछ लोग अन्य जनपदों/प्रान्तों से अपने साधन आदि से सीधे अपने घरों को आते रहे है।

यद्यपि जनपद में प्रशासन/पुलिस द्वारा लॉकडाउन का पालन कराया जा रहा है, परन्तु फिर भी कुछ दुकानदारों द्वारा अपनी दुकानें आदि खोलने का प्रयास किया जाता रहता है तथा सोशल डिस्टेसिंग का पालन नहीं किया जाता है, जिसके कारण संक्रमण फैलने का खतरा बना रहता है। ''

महोदय को यह भी अवगत कराना है कि जनपद बुलन्दशहर में 10 हॉट स्पॉट चिन्हित कर सील किये गये है, जिनमें 01–चौक बाजार, बुलन्दशहर हॉटस्पाट नगर बुलन्दशहर में बना है। इसके अतिरिक्त जनपद बुलन्दशहर में 09 हॉटस्पाट–विक्रम औषधालय डा0 देवेन्द्र कुमार का घर शिकारपुर, मौ0 पीरजादगान खुर्जा, हीरा कालौनी दनकौर रोड़ सिकन्द्राबाद, ग्राम सिरोधन सिकन्द्राबाद, ग्राम ढोका थाना अहमदगढ़, कायस्थवाड़ा (गुरूद्वारे के सामने) सिकन्द्राबाद, खत्रीवाड़ा देवी मन्दिर के सामने, सिकन्द्राबाद, ग्राम सतोहा, वि0ख0 व तहसील डिबाई एवं ग्राम सरायघासी, वि0ख0 व तहसील सिकन्द्राबाद बने हैं, जिनमें पाये गये पॉजिटिव व्यक्तियों की संख्या संलग्न कर सादर सूचनार्थ प्रेषित है।

जनपद में अन्य जनपदों/प्रान्तों से काफी संख्या में आये प्रवासी मजदूरों में से 12 मजदूर कोरोना पॉजिटिव पाये गये है, जिसके कारण जनपद में कोरोना पॉजिटिव की संख्या में अचानक ही वृद्धि हुई है। आज दिनांक 27.05.2020 तक जनपद में कोरोना पॉजिटिव की संख्या–107 है, 342 व्यक्ति मेडिकल क्वारेनटाईन में है तथा 373 व्यक्ति होम क्वारेनटाईन में है। जनपद में 02 कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है।

महोदय यहाँ यह भी अवगत कराना है कि प्रवासी मजदूरों के कारण संक्रमण न फैले, इस हेतु आवश्यक सेवाओं को छोड़कर शेष बाजार बन्द करने के निर्देश है। उपरोक्त स्थितियों में यदि वादकारियों के रूप से बाहर से आये प्रवासी मजदूरों में काफी लोग न्यायालय में पहुँचेगें, जिससे माननीय न्यायिक अधिकारीगण, कर्मचारीगण एवं अधिवक्तागण में सक्रमण होने की सम्भावना बढ़ सकती है।

आख्या महोदय की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित है।

संलग्नकः यथोक्त

27/05/2020

अपर जिलाधिकारी–प्रशासन,
बुलन्दशहर।

प्रतिलिपिः– जिलाधिकारी महोदय की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

अपर जिलाधिकारी–प्रशासन,
बुलन्दशहर।

गोपनीय

पत्रांक-एल.आई.यू./सी-34/2020

स्थानीय अभिसूचना इकाई
बुलन्दशहर
दिनांक-मई 27, 2020

सेवा में,

अपर जिलाधिकारी(प्रशासन)
जनपद बुलन्दशहर ।

कृपया अवगत कराना है कि विगत काफी समय से प्रदेश एवं देश में कोरोना संक्रमण के फैलने के कारण लॉकडाउन चल रहा है। इस अवधि में देश के अन्य प्रान्तों महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा आदि से प्रवासी मजदूर आदि वापस आ रहे हैं, जिनमें से कुछ लोग विगत दिनों संक्रमित भी पाये गये हैं। यह भी प्रकाश में आया है कि कुछ लोग अन्य जनपदों/प्रान्तों से अपने साधन आदि से सीधे अपने घरों को आते रहे हैं।

यद्यपि जनपद में प्रशासन/पुलिस द्वारा लॉकडाउन का पालन कराया जा रहा है। परन्तु फिर भी कुछ दुकानदारों द्वारा अपनी दुकाने आदि खोलने का प्रयास किया जाता रहता है तथा सोशल डिस्टेसिंग का पालन नहीं किया जाता है, जिसके कारण संक्रमण फैलने का खतरा बना रहता है।

अतः उक्त के दृष्टिगत व लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कराने व अनावश्यक दुकान आदि न खोलने हेतु समझाया जाना तथा समुचित सतर्कता/पुलिस प्रबन्ध सहित आवश्यक कार्यवाही किया जाना समीचीन होगा।

27-5-20

निरीक्षक
स्थानीय अभिसूचना इकाई
बुलंदशहर

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर।

पत्र संख्याः 202 /एस0टी0–डी0एम0/2020 दिनांकः 24 मई, 2020

आदेश

उत्तर प्रदेश शासन राजस्व अनुभाग–11 के शासनादेश संख्या–195/एक–11–2020/रा0–11 दिनांक 24 मार्च 2020 के द्वारा भारत सरकार के आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 सपठित उत्तर प्रदेश आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा–2 उपधारा(जी) के अन्तर्गत कोविड–19 के कारण फैल रही महामारी को "आपदा" घोषित किया गया है। मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के आदेश संख्या 255/पी0एस0एम0एस0/2020 दिनॉक 08–04–2020, 264/2020/सीएक्स–3 दिनॉक 16 अप्रैल 2020 एवं 381/2020/सीएक्स–3 दिनॉक 03 मई 2020 के अन्तर्गत जनपद बुलन्दशहर में लॉकडाउन व्यवस्था को पूरी तरह सुदृढ करते हुए प्रभावित क्षेत्रों को पूरी तरह सील कर दिये जाने के आदेश प्रदान किये गये हैं। वर्तमान में मा0मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन द्वारा पत्रांक 924/2020/सीएक्स–3 दिनॉक 18–05–2020 के द्वारा अपने पूर्व पत्र दिनॉक 03 मई 2020 में यथासंशोधन करते हुए लॉकडाउन दिनॉक 31–05–2020 तक जारी रखने के विस्तृत निर्देश दिये गये है।

उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा अनुभाग–5 लखनऊ द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या 548/पॉच–5–2020 दिनाक 14 मार्च, 2020 द्वारा महामारी अधिनियम 1897 (अधिनियम संख्या–3 सन् 1897) की धारा–2 के अधीन उत्तर प्रदेश महामारी कोविड विनियमावली 2020 के प्रस्तर–12 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं रविन्द्र कुमार, जिला मजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर कोरोना वायरस से पीड़ित/संक्रमित मामलों के दृष्टिगोचर होने के परिणामस्वरूप तत्काल प्रभाव से कोविड–19 के फैलाव को रोकने एवं बचाव किये जाने के उद्देश्य से जनपद बुलन्दशहर के निम्नांकित **कम सं0 10** पर अंकित क्षेत्रों/हॉटस्पॉट को निर्धारित प्रोटोकाल के अनुसार **दिनांक 24 मई, 2020 की अपरान्ह 06:00 बजे** से अग्रिम आदेशों तक अस्थायी रूप से सील किये जाने का आदेश देता हूँ। अन्य क्षेत्र/हॉटस्पाट सम्मुख अंकित दिनॉक से पूर्व में ही सील किये जा चुके हैं:–

क0सं0	हॉटस्पाट का नाम	घोषित दि0	थाना क्षेत्र
1	विक्रम औषधालय, शिकारपुर (डा0 देवेन्द्र कुमार का घर/औषधालय)	11–04–2020	शिकारपुर
2	मौ0पीरजादगान, खुर्जा	07–05–2020	को0 नगर खुर्जा
3	हीरा कालोनी, दनकौर रोड, सिकन्द्राबाद	10–05–2020	सिकन्द्राबाद
4	ग्राम सिरोधन, वि0ख0 व तहसील सिकन्द्राबाद	14–05–2020	सिकन्द्राबाद
5	ग्राम ढोंका, वि0ख0 दानपुर व तहसील डिबाई	18–05–2020	अहमदगढ
6	कायस्थवाडा (गुरूद्वारे के सामने), सिकन्द्राबाद	20–05–2020	सिकन्द्राबाद
7	चौक बाजार, बुलन्दशहर	21–05–2020	को0नगर, बु0शहर
8	खत्रीवाडा देवी मन्दिर के सामने, सिकन्द्राबाद	23–05–2020	सिकन्द्राबाद
9	ग्राम सतोहा, वि0ख0 व तहसील डिबाई	24–05–2020	डिबाई
10	ग्राम सरायघासी, वि0ख0 व तहसील सिकन्द्राबाद	24–05–2020	सिकन्द्राबाद

मा0 मुख्य सचिव, गृह (गोपन), अनुभाग–3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के कार्यालय पत्र संख्या 924/2020/सीएक्स–3 दिनॉक 18–05–2020 के अनुसार कन्टेंमेन्ट जोन को निम्न प्रकार परिभाषित किया गया है कि:–

शहरी क्षेत्र:– (i) जहॉ शहरी क्षेत्र में सिंगल केस है वहॉ पर 250 मीटर के रेडियस में अथवा पूरा मौहल्ला, जो भी कम हो ।

(ii) एक से ज्यादा केस होने पर, कलस्टर की स्थिति में, 500 मीटर के रेडियस में कन्टेनमेन्ट जोन होगा तथा उसके उपरान्त 250 मीटर में बफर जोन भी होगा।

ग्रामीण क्षेत्र:–(i) जहॉ सिंगल केस है, वहॉ पर राजस्व का सम्बन्धित मजरा।

(ii) यदि गॉव में एक से अधिक केस (कलस्टर) है तो ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण राजस्व ग्राम कन्टेनमेंट जोन होगा। इस गॉव के इर्द–गिर्द पड़ने वाले दूसरे राजस्व ग्रामों के मजरे बफर जोन में आयेगें।

कन्टेनमेंट जोन में निम्न प्रकार व्यवस्था रहेगी:–

1– कन्टेनमेन्ट जोन में केवल स्वास्थ्य विभाग, स्वच्छता के कार्य एवं डोर स्टेप डिलेवरी के कार्य की ही अनुमति होगी। कन्टेनमेन्ट जोन में कड़ा परिधीय नियंत्रण रखते हुए यह भी सुनिश्चित किया जाए कि केवल चिकित्सकीय आपातकालीन स्थिति और आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की पूर्ति को छोड़कर किसी भी व्यक्ति का अन्दर अथवा बाहर की ओर आवागमन न हो, इस सम्बन्ध में केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा राज्य सरकार के दिशा निर्देशों का ध्यान रखा जाएगा।

2– कन्टेनमेन्ट जोन में सघन कान्टेक्ट ट्रेसिंग, हाउस टू हाउस सर्विलांस और यथावश्यक चिकित्सकीय गतिविधियां होगी।

3– कन्टेनमेन्ट जोन का आकार यथासंभव इस प्रकार रखा जाए कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन हो।

4– कन्टेनमेंट जोन/हॉटस्पाट क्षेत्र में शत–प्रतिशत घरों की स्वास्थ्य जॉच एवं सेनीटाइजेशन संबंधित अधिकारियों द्वारा किया जायेगा तथा फायर इंजन से Disinfectant का छिड़काव किया जायेगा। लोगों को फेस मॉस्क भी वितरित किये जायेंगे।

5– कन्टेनमेंट जोन/हॉटस्पाट क्षेत्र में डॉक्टर सहित एम्बुलेंस लगायी जायेगी। यदि किसी को अस्पताल ले जाना हो तो उसे एम्बुलेन्स या A.L.S. से ले जाया जायेगा। किसी भी दशा में निजी वाहन–प्रयोग की अनुमति नहीं दी जायेगी। किसी अपरिहार्य स्थिति में उक्त सम्बन्धित क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति चिकित्सा विभाग के कन्ट्रोल रूम 7839791647 अथवा श्री बी0 के0 श्रीवास्तव, डी0एम0ओ0 (मो0नं0–9412425890) से सम्पर्क कर सकते है।

6– कन्टेनमेंट जोन/हॉटस्पाट क्षेत्र में सघन पैट्रोलिंग की जायेगी तथा 112 वाहनों की विशेष ड्यूटी लगायी जायेगी। पुलिस तथा 112 की गाड़ियों से लाउडस्पीकर से घोषणा करके जनता को जागरुक किया जायेगा। यदि कोई व्यक्ति फिर भी धारा–144 द0प्र0सं0 के निर्देशों का उल्लंघन करेगा, तो उसके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

7– कन्टेनमेंट जोन/हॉटस्पाट क्षेत्र में सेक्टर–स्कीम लागू की जायेगी तथा पिकेट ड्यूटी लगायी जायेगी।

8– कन्टेनमेंट जोन/हॉट स्पाट क्षेत्र में आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति में लगे व्यक्तियों को छोडकर शेष सभी व्यक्तियों के पूर्व में निर्गत किये गये पास निरस्त किये जाते हैं।

9– उक्त अवधि में निर्धारित प्रोटोकाल के अनुसार सम्बन्धित क्षेत्र में रहने वाले समस्त व्यक्ति अपने–अपने आवास (इंडोर) में ही रहेंगे।

उक्त आदेशों का उल्लंघन उपरोक्त अधिसूचना के प्रस्तर–15(पन्द्रह) में प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार भारतीय दण्ड संहिता (अधिनियम संख्या–45 सन 1980) की धारा–188 के अधीन दण्डनीय कोई अपराध किया समझा जायेगा। उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

(रविन्द्र कुमार)
जिला मजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर।

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2– प्रमुख सचिव, मा0मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3– अपर मुख्य सचिव, गृह, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
4– प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
5– आयुक्त मेरठ मण्डल मेरठ।
6– उपाध्यक्ष, बुलन्दशहर विकास प्राधिकरण, बुलन्दशहर।
7– वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक, बुलन्दशहर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि आदेश का प्रभावी अनुपालन कराये जाने हेतु संबंधित पुलिस अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें तथा प्रतिबन्धित क्षेत्र में नियुक्त मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस अधिकारियों की ड्यूटी लगाने का कष्ट करें।
8– मुख्य विकास अधिकारी, बुलन्दशहर।
9– अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), बुलन्दशहर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रतिबन्धित स्थलों पर मजिस्ट्रेट की रोस्टरवार ड्यूटी लगाते हुए तैनाती आदेश जारी करायें।
10– अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)/(न्यायिक), बुलन्दशहर।
11– अपर पुलिस अधीक्षक, नगर/देहात, बुलन्दशहर।
12– मुख्य चिकित्साधिकारी, बुलन्दशहर को इस निर्देश के साथ कि प्रतिबन्धित क्षेत्र एवं उसके आसपास के क्षेत्र में निर्धारित प्रोटोकाल के अनुसार सैनिटाईजेशन, स्टाफ डिप्लॉयमेंट आदि यथा वॉछित कार्यवाही सुनिश्चित करायें।
13– नगर मजिस्ट्रेट/सम्बन्धित उप–जिलाधिकारी, जनपद बुलन्दशहर को इस निर्देश के साथ कि आदेश की प्रति सम्बन्धित स्तर पर चस्पा कराते हुए परिसर एवं आस–पास इसकी विधिवत घोषणा कराकर सूचित करायें। साथ ही चिकित्सा एवं पुलिस विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए आदेश का कड़ाई से अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित करें।
14– समस्त सेक्टर मजिस्ट्रेट, जनपद बुलन्दशहर को अनुपालनार्थ
15– नियंत्रक, सिविल डिफेंस, नरौरा जनपद बुलन्दशहर।
16– जिला सूचना अधिकारी, बुलन्दशहर।
17– समस्त संबंधित को अनुपालनार्थ।

जिला मजिस्ट्रेट,
बुलन्दशहर।

प्रारूप– 01 कोरोना (कोविड–19) के हॉटस्पोट की सूचना जनपद बुलन्दशहर। दिनांक 27.05.2020 समय 07.00 बजे।

क्र0 सं0	हॉटस्पोट एरिया का नाम	थाना	मजिस्ट्रेट/राजपत्रित पुलिस अधिकारी का नाम व पदनाम	हॉटस्पॉट एरिया में कुल मकानों की संख्या	हॉटस्पॉट एरिया की जनसंख्या या (अनुमानित)	फायर टेण्डर से सेनिटाइजर का छिड़काव किया गया अथवा नही	कोरोना पाजिटिव की संख्या	कोरोना संदिग्धों की टेस्टिंग: पोजिटिव	निगेटिव	रिपोर्ट पैडिंग	Institutional Quarantine व्यक्तियों की संख्या	सैनिटाइजिंग की गयी या नही/सैनिटाइजिंग किये गये स्थानों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	विकम औषधालय डा0 देवेन्द्र कुमार का घर शिकारपुर	शिकारपुर	श्री वेद प्रिय आर्य उपजिलाधिकारी शि0पुर। श्री गोपाल सिंह क्षेत्राधिकारी शिकारपुर।	11183	48417	फायर टेण्डर से सेनिटाइजर/डिरइन्फेक्टेन्ट का छिड़काव कराया गया है	0		541		159	10
2	मौ0 पीरजादगान, मौ0 चौहटटा कस्बा खुर्जा नगर	खुर्जा नगर	श्रीमती ईशा प्रिया जोइन्ट मजिस्ट्रेट (एसडीएम) खुर्जा। श्री सुरेश कुमार क्षेत्राधिकारी खुर्जा।	336	2047	फायर टेण्डर से सेनिटाइजर/डिरइन्फेक्टेन्ट का छिड़काव कराया गया है	8		84		84	11
3	हीरा कालोनी, दनकौर रोड थाना सिकन्द्राबाद	सिकन्द्राबाद	श्री रविशंकर (उप–जिला मजिस्ट्रेट)/ श्री गोपाल चौधरी स0 पु0अ0/सीओ सि0बाद।	787	4487	फायर टेण्डर से सेनिटाइजर/डिरइन्फेक्टेन्ट का छिड़काव कराया गया है	1		6		6	2
4	ग्राम सिरोधन सिकन्द्राबाद	सिकन्द्राबाद	श्री रविशंकर (उप–जिला मजिस्ट्रेट)/ श्री गोपाल चौधरी सहायक पुलिस अधीक्षक सिकन्द्राबाद	556	4018	फायर टेण्डर से सेनिटाइजर/डिरइन्फेक्टेन्ट का छिड़काव कराया गया है	0		14		15	2
5	ग्राम ढोका अहमदगढ	अहमदगढ	श्री वेद प्रिय आर्य उपजिलाधिकारी श्री गोपाल सिंह क्षेत्राधिकारी शिकारपुर	421	4500	फायर टेण्डर से सेनिटाइजर/डिरइन्फेक्टेन्ट का छिड़काव कराया गया है	1		12		12	4
6	कायस्थवाडा (गुरुद्वारे के सामने) मौ0 रामबाडा सि0बाद	सिकन्द्राबाद	श्री रविशंकर (उप–जिला मजिस्ट्रेट)/ श्री गोपाल चौधरी सहायक पुलिस अधीक्षक सिकन्द्राबाद	729	4299	फायर टेण्डर से सेनिटाइजर/डिरइन्फेक्टेन्ट का छिड़काव कराया गया है	2 (1मृत्यु)		10	6	10	2
7	मो0 चौक बाजार बु0शहर।	को0नगर	श्री अभय कुमार मिश्र (नगर मजिस्ट्रेट)/ श्री राघवेन्द्र कुमार मिश्र क्षेत्राधिकारी नगर	11	66	फायर टेण्डर से सेनिटाइजर/डिरइन्फेक्टेन्ट का छिड़काव कराया गया है	1		9		9	3
8	मौ0 खत्रीवाडा देवी मन्दिर के सामने, सिकन्द्राबाद	सिकन्द्राबाद	श्री रविशंकर (उप–जिला मजिस्ट्रेट)/ श्री गोपाल चौधरी स0पु0अ0/सीओ सि0बाद	310	1705	फायर टेण्डर से सेनिटाइजर/डिरइन्फेक्टेन्ट का छिड़काव कराया गया है	1		16		16	2
9	मौ0 सरायघासी सिकन्द्राबाद।	सिकन्द्राबाद	श्री रविशंकर (उप–जिला मजिस्ट्रेट)/ श्री गोपाल चौधरी सहायक पुलिस अधीक्षक सिकन्द्राबाद	616	3412	फायर टेण्डर से सेनिटाइजर/डिरइन्फेक्टेन्ट का छिड़काव कराया गया है	1		3	10	13	2
10	ग्राम सतोहा डिबाई	डिबाई	श्री संजय कुमार उप–जिला मजिस्ट्रेट डिबाई। श्री विक्रम सिंह क्षेत्राधिकारी डिबाई।	948	5500	फायर टेण्डर से सेनिटाइजर/डिरइन्फेक्टेन्ट का छिड़काव कराया गया है	1			17	17	5
नोटः– जनपद बुलन्दशहर में 12 व्यक्ति भिन्न–भिन्न स्थानो से प्रवासी के रुप मे आये है तथा परीक्षण के उपरान्त दिनांक 18.05.20 को कोरोना पोजिटिव पाये गये जो पूर्व से ही संस्थागत क्वारन्टाईन है।							12					

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
जनपद बुलन्दशहर।

जिलाधिकारी
जनपद बुलन्दशहर।

Scanned with CamScanner

प्रारूप– 02 कोरोना (कोविड–19) के हॉटस्पोट की सूचना जनपद बुलन्दशहर। दिनांक 27.05.2020 समय 07.00 बजे।

क्र0 सं0	हॉटस्पोट एरिया का नाम	आवश्यक वस्तुओ की आपूर्ति डोर–टू–डोर किये जाने की व्यवस्था			मोवाइल वेहिकल पर ध्वनि विस्तारक यत्रों के प्रयोग से आवश्यक सूचनाओ का प्रचार–प्रसार/कितने वाहन लगाये गये	गाडियों के चालान की संख्या	जब्त गाडियों की संख्या	धारा 188 के अन्तर्गत [illegible] की संख्या
		दूध	राशन	फल/सब्जी				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	विकम औषाधालय डा0 देवेन्द्र कुमार का घर शिकारपुर	दूध व्यवस्था की जा रही है।	राशन की व्यवस्था की जा रही है	फल/सब्जी की व्यवस्था की जा रही है।	01 वाहन	–	–	–
2	मौ0 पीरजादगान, मौ0 चौहटटा कस्बा खुर्जा नगर	दूध व्यवस्था की जा रही है।	राशन की व्यवस्था की जा रही है	फल/सब्जी की व्यवस्था की जा रही है।	01 वाहन	–	–	–
3	हीरा कालोनी, दनकौर रोड थाना सिकन्द्राबाद	दूध व्यवस्था की जा रही है।	राशन की व्यवस्था की जा रही है	फल/सब्जी की व्यवस्था की जा रही है।	01 वाहन	–	–	–
4	ग्राम सिरोधन सिकन्द्राबाद	दूध व्यवस्था की जा रही है।	राशन की व्यवस्था की जा रही है	फल/सब्जी की व्यवस्था की जा रही है।	01 वाहन	–	–	–
5	ग्राम सिरोधन सिकन्द्राबाद	दूध व्यवस्था की जा रही है।	राशन की व्यवस्था की जा रही है	फल/सब्जी की व्यवस्था की जा रही है।	01 वाहन	–	–	–
6	कायस्थवाडा (गुरुद्वारे के सामने) सि0बाद	दूध व्यवस्था की जा रही है।	राशन की व्यवस्था की जा रही है	फल/सब्जी की व्यवस्था की जा रही है।	01 वाहन	–	–	–
7	मौ0 चौक बाजार बु0शहर।	दूध व्यवस्था की जा रही है।	राशन की व्यवस्था की जा रही है	फल/सब्जी की व्यवस्था की जा रही है।	01 वाहन	–	–	–
8	मौ0 खत्रीवाडा देवी मन्दिर के सामने, सिकन्द्राबाद।	दूध व्यवस्था की जा रही है।	राशन की व्यवस्था की जा रही है	फल/सब्जी की व्यवस्था की जा रही है।	01 वाहन	–	–	–
9	मौ0 सरायघासी, सिकन्द्राबाद।	दूध व्यवस्था की जा रही है।	राशन की व्यवस्था की जा रही है	फल/सब्जी की व्यवस्था की जा रही है।	01 वाहन	–	–	–
10	ग्राम सतोहा, डिबाई।	दूध व्यवस्था की जा रही है।	राशन की व्यवस्था की जा रही है	फल/सब्जी की व्यवस्था की जा रही है।	01 वाहन	–	–	–

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
जनपद बुलन्दशहर।

जिलाधिकारी
जनपद बुलन्दशहर।

Scanned with CamScanner